विज्ञप्ति संख्या–22/2015

कार्यालय,जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद।

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 एवं पत्रांक 1531 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार विज्ञप्ति संख्या 08/2015 एवं 07/2015 को निरस्त करते हुये पुनः झारखण्ड अधिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से कक्षा 08 एवं कक्षा 01 से 05 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्रारंभिक/मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (विज्ञान, कला, भाषा, उर्दू भाषा शिक्षक) एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 09/2015 एवं विज्ञप्ति संख्या 10/2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में दिनांक 05.08.2015 तक कक्षा 06 से 08 के लिये एवं दिनांक 07.08.2015 तक कक्षा 01 से 05 के लिये स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन गुण–दोष के आधार पर करते हुये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ट्म औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदनोंपरांत प्रकाशित की गई थी। विभागीय पत्रांक 2641 दिनांक 16.11.2015 में निहित निर्देश के आलोक में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण सातवॉं औपबंधिक मेधा सूची (1–5 एवं 6–8) प्रकाशित की जा रही है जिसे **www.dhanbad.nic.in** पर देखा जा सकता है।

मेधा सूची से वैसे अभ्यर्थियों का नाम हटा दिया गया है जिनका चयन किसी दूसरे जिले में हो चुका है या वे वर्तमान में पारा शिक्षक है और गैर पारा में आवेदन दिया है। मेधा सूची से वैसे एपिर्यड अभ्यर्थियों का नाम भी हटा दिया गया है जिनका डी0पी0ई0 बिहार का है या उनका चयन नियमानुकूल नहीं था। संभव है कि नाम हटाने के क्रम में कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का नाम भी हट गया होगा जिन्हें हटना नहीं चाहिये था।

प्रकाशित सातवॉं औपबंधिक मेधा सूची पर संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक 06.12.2015 के अपराह्न 05:00 बजे तक आपत्ति यदि कोई हो साक्ष्य के साथ आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। आपत्ति का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करते हुये संशोधित सातवॉं औपबंधिक मेधा सूची दिनांक 08.12.2015 को **www.dhanbad.nic.in** पर अपलोड किया जायेगा। संशोधित मेधा सूची में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी ही कांउसिलिंग में भाग ले सकेंगे जिनके कॉलम में एपिर्यड अंकित नहीं हो। कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाये गये है जो पूर्व में पारा शिक्षक रहते हुये डी0पी0ई0 की योग्यता हासिल की है तथा गैर पारा में अपना चयन कराने में कामयाब हो गये है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिनांक 06.12.2015 तक अपने प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत पारा शिक्षक परित्याग प्रमाण–पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा संशोधित मेधा सूची से उनका नाम हटा दिया जायेगा। इस आशय की सूचना **SMS** एवं दूरभाष पर उन्हें पूर्व में दिया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों को यह प्रमाण–पत्र देना है उसका उल्लेख उनके कॉलम में कर दिया गया है। दिनांक 09.12.2015 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक कांउसिलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है जो बी0एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय, धनबाद में सम्पन्न होगा। इसके लिये अलग से कोई विज्ञापन नहीं निकाला जायेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि हमेशा **NIC** पर अपलोड डाटा से अपने का अद्यतन करते रहें।

कांउसिलिंग के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ इस हेतू गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है–

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्रों के साथ।
2. झारखण्ड टेट प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
3. आरक्षण का दावा हेतू सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (नियोजन हेतु) एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ। उक्त दोनों प्रमाण–पत्र अद्यतन एवं विहित–प्रपत्र में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र में पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
4. पासपोर्ट साईज का दो रंगीन फोटोग्राफ।
5. विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थी को विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
7. कांउसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का स्वःघोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि वे किसी दूसरे जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत् नहीं है। यदि कार्यरत् है तो इस जिले में आवेदन पत्र देने के पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं?
8. 22सें0मी0 ग 10सें0मी0 का एक स्टेन्र्डड साईज लिफाफा जिसपर 27/–रूपये का स्टाम्प टिकट सटा हुआ हो तथा जिसपर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो।

सभी कागजात प्लास्टिक बन्द कभर फाईल में रखा होगा। फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं मेधा क्रमांक/कोटि अंकित होगा। कांउसिलिंग में सम्मिलित होने हेतू अलग से कोई पत्र नहीं दिया जायेगा।

5/12/15

जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

5/12/15